



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(उपराज्यकारी का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 1546—पारेओनु०—16 / पाद्राकालि—2019—43 / 2012

दिनांक: 14 जून, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

उपराज्यकारी का सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत स्थानान्तरण विषयक समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुये, एतद्वारा वर्ष 2019—2020 हेतु स्थानान्तरण नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है :—

1. स्थानान्तरण निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंगे :—

- (क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
 - (ख) प्रोन्नति, सेवा—समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
 - (ग) किसी कार्मिक के व्यक्तिगत कारण, यथा—चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा या अन्य किसी विशेष कारण के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा कार्मिकों की पारस्परिक सहमति प्राप्त होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते इस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।
 - (घ) यदि पति—पत्नी दोनों सरकारी/कारपोरेशन की सेवा में हो तो उन्हें यथा सम्भव एक ही जनपद/नगर में तैनात करने हेतु स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
2. (क) समूह 'क' व 'ख' के ऐसे अधिकारी, जो किसी एक पद पर 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें स्थानान्तरित किया जायेगा।
- (ख) समूह 'क' के ऐसे अधिकारी, जो किसी पारेषण क्षेत्र/इकाई में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदों पर 15 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें इस क्षेत्र/इकाई से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

समूह 'क' के खण्डीय स्तर के अधिकारी किसी मण्डल (सर्किल) के अन्तर्गत 05 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें इस मण्डल से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

पारेषण क्षेत्र हेतु निर्धारित उक्त अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः उसी पारेषण क्षेत्र/इकाई में की जा सकती है, यदि वह न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि हेतु इस क्षेत्र/इकाई से बाहर तैनात रहा हो। प्रतिबन्ध यह होगा कि उसे पूर्व धारित पदों पर तैनाती नहीं मिलेगी।

- (ग) समूह 'ख' के ऐसे अधिकारी जो समूह 'ख' के पदों पर किसी खण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष, किसी मण्डल (सर्किल) के अन्तर्गत 07 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें इस खण्ड/मण्डल से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।



- (घ) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार में तैनात समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारियों को लखनऊ मण्डल (कमिशनरी) के क्षेत्राधीन कार्यालयों में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा और इसी प्रकार लखनऊ मण्डल (कमिशनरी) के क्षेत्राधीन कार्यालयों में तैनात समूह 'क' व समूह 'ख' के अधिकारियों को शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार में तैनात नहीं किया जायेगा।
3. (क) समूह 'ग' के ऐसे अवर अभियन्ता, जो किसी एक सेवकशन में 03 वर्ष, किसी एक पारेषण खण्ड में 05 वर्ष, किसी एक पारेषण मण्डल में 08 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें इस सेवकशन/खण्ड/मण्डल से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा। अवर अभियन्ताओं को उसके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।
- (ख) समूह 'ग' के लिपिकीय संवर्ग/लेखा/कला संवर्ग के कार्मिक, जो किसी एक पद पर 03 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनका पटल परिवर्तन करते हुए उन्हें किसी दूसरे समकक्ष पद पर तैनात किया जायेगा। किसी एक कार्यालय में उनकी अधिकतम तैनाती अवधि 06 वर्षों की तथा किसी एक जनपद में अधिकतम 10 वर्षों की होगी। इसके उपरान्त उन्हें निकटवर्ती जनपद में स्थानान्तरित किया जायेगा। इन कार्मिकों की तैनाती उनके गृह जनपद में नहीं की जायेगी।
- उक्त के फलस्वरूप, किसी स्थानान्तरित कार्मिक की ज्येष्ठता परिवर्तित नहीं होगी अपितु यह उसके मूल नियुक्ति कार्यालय में यथावत बनी रहेगी।
- उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त किसी कार्मिक की तैनाती पुनः उसी जनपद में की जा सकती है, यदि वह न्यूनतम 05 वर्षों की अवधि हेतु किसी अन्य जनपद में तैनात रहा हो।
- (ग) प्रतिस्थानी की उपलब्धता के प्रतिबन्धाधीन, समूह 'ग' के परिचालकीय संवर्ग के उन्हीं कार्मिकों के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा, जो किसी एक स्थान पर 05 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों।
- (घ) चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों का स्थानान्तरण यथासम्भव उनके गृह जनपद में किया जायेगा, लेकिन उन्हें उस कार्यालय में तैनात नहीं किया जायेगा, जिस स्थान पर उनका मूल निवास स्थान हो। किसी एक कार्यालय में उनका अधिकतम कार्यकाल 05 वर्षों का होगा, इसके उपरान्त उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।
4. परीक्षण एवं परिचालन, एस०एल०डी०सी०, ए०एल०डी०एस०, वाणिज्य एवं नियोजन, संचार एवं नियन्त्रण इकाईयों में तैनात अधीक्षण अभियन्ता स्तर तक के कार्मिक एवं पाली में तैनात समस्त कार्मिक स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सीमा एवं गृह जनपद/मण्डल के प्रतिबन्धों से सामान्यतया मुक्त रहेंगे।
5. शक्ति भवन विस्तार/मुख्यालय की विभिन्न इकाईयों में असंवेदनशील पदों पर तैनात रहे अधिकारी गृह जनपद/मण्डल के प्रतिबन्धों से समान्यतया मुक्त रहेंगे। ऐसे अधिकारी, जो किसी एक पद पर 03 वर्ष कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें शक्ति भवन विस्तार/मुख्यालय में समकक्ष पदों पर अथवा अन्यत्र आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जायेगा।

क्रमांक:3

6. उक्त आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कार्मिकों की संख्या किसी क्षेत्र/इकाई में तैनात उस वर्ग के कार्मिकों की संख्या के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि इस सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
7. उपरोक्तानुसार, "सामान्य स्थानान्तरण" की प्रक्रिया दिनांक 30.06.2019 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

8. अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त :-

- (क) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल एवं समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।
(उपरोक्त प्रस्तर- 4 व 5 में उल्लिखित पदों के अतिरिक्त।)
- (ख) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती सत्यनिष्ठा रोके जाने की तिथि से अग्रेतर 03 वर्षों तक संवेदनशील पदों पर नहीं की जायेगी।
- (ग) स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव बनाये जाने की तिथि से विगत 03 वर्षों की अवधि में 03 अथवा इससे अधिक दण्ड (लघु/वृद्ध) पाये हुये कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण : किसी कार्मिक को यदि किसी एक प्रकरण में 'निन्दा प्रविष्टि' एवं 'असंचयी/संचयी प्रभाव' से वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड प्रदान किया गया है तो उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित कार्मिक को 02 दण्ड प्रदान किये गये माने जायेंगे।

- (घ) मंदित बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाये, जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।
- (ङ) दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाये। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।
- (च) तैनाती अवधि की गणना हेतु कट-आफ डेट 31.03.2019 मानी जायेगी।
- (छ) दिनांक 31.03.2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके इच्छित जनपद (गृह जनपद के अतिरिक्त) तथा समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके इच्छित जनपद में स्थानान्तरित किये जाने पर यथासम्भव विचार किया जायेगा।
- (ज) सामान्यतः किसी कार्मिक को ऐसे किसी पद/कार्यालय जिसमें वह पहले कार्य कर चुका हो, पुनः उसे उसी पद/कार्यालय में तैनात नहीं किया जायेगा।
- (झ) पारेषण स्कन्ध में निम्नांकित पद संवेदनशील निर्धारित किये जाते हैं:-



1. पारेषण क्षेत्रों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/उप खण्ड अधिकारी अथवा सहायक अभियन्ता के समस्त पद (उपरोक्त प्रस्तर-4 व 5 में उल्लिखित पदों के अतिरिक्त)।
2. एस0एल0डी0सी0/संचार व नियंत्रण इकाईयों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता के समस्त पद।
3. पारेषण परिकल्पना इकाईयों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के समस्त पद।
4. विद्युत जानपद पारेषण इकाईयों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/उप खण्ड अधिकारी के समस्त पद।
5. उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के समस्त पद।
6. समूह 'क' व 'ख' के समस्त ऐसे पद, जो टेन्डर प्रक्रिया से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सम्बन्धित हो अथवा जहाँ पर आहरण एवं वितरण तथा बैंक खाते के संचालन का अधिकार प्राप्त है।

उक्त के अतिरिक्त, अन्य समस्त पद असंबेदनशील माने जायेंगे।

9. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :-

- (i) स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में यह निर्देश अंकित किये जायेंगे कि सम्बन्धित प्राधिकारी एक सप्ताह की अवधि में बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेगा।
स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा एवं अवमुक्त न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- (ii) स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा नवतैनाती स्थान पर निर्धारित समयावधि में कार्यभार न ग्रहण करने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- (iii) निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने वाले कार्मिकों के अगले वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा इसकी सूचना लिखित रूप से आहरण एवं वितरण अधिकारी को दी जायेगी।
- (iv) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाने के उपरान्त, उन्हें अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्णय लिया जायेगा।



10. मान्यता प्राप्त सेवा संघो के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :—

मान्यता प्राप्त सेवा संघो के अध्यक्ष/सचिवों के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में यद्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष तक नहीं किये जायेंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो इसका अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�0 से प्राप्त किया जायेगा।

11. स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :—

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने से सम्बन्धित प्रत्यावेदनों को किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं किया जायेगा। यदि कोई कार्मिक स्थानान्तरण रोके जाने हेतु किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने का प्रयास करता है तो उसके इस कृत्य को सरकारी कर्मचारी अधिनियम—56 के नियम 27 का उल्लंघन माना जायेगा तथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

12. चार्ज नोट :—

स्थानान्तरित कार्मिक से यह अपेक्षा की जाती है कि कार्यभार छोड़ते समय वह एक चार्ज नोट तैयार करेगा, जिसकी एक प्रति नये कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को तथा एक प्रति प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। इस चार्ज नोट में महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं/विधिक मामलों आदि के सम्बन्ध में समुचित जानकारी देनी होगी ताकि नये कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिक को भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो एवं विभाग का हित सुरक्षित एवं संरक्षित रहे।

13. जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी भी कार्मिक का कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकता है।
14. यह स्थानान्तरण नीति जब तक कारपोरेशन द्वारा विखण्डित न कर दी जाये यथावत् लागू रहेगी।
15. (i) सभी स्थानान्तरण एवं तैनाती, इस स्थानान्तरण नीति के अनुसार किये जोयेंगे। सामान्य एवं विशिष्ट दोनों ही प्रकार के स्थानान्तरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या—79 / 1997 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2007 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(ii) यदि कार्मिकों के स्थानान्तरण, इस स्थानान्तरण नीति एवं उपरोक्त बिन्दु सं0—13 के अनुसार किये गये हों, तो इससे शासन स्तर पर गठित “द्विसदस्यीय समिति” को कार्योत्तर संज्ञानित कराया जायेगा।
(iii) यदि किसी विशिष्ट एवं अपवादिक स्थितियों में प्रस्तावित स्थानान्तरण से, इस स्थानान्तरण नीति के विचलन की स्थिति बनती हो, तो ऐसे प्रकरणों में शासन स्तर पर गठित “द्विसदस्यीय समिति” का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही स्थानान्तरण किये जायेंगे।
16. उपर्युक्त स्थानान्तरण नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,



क्रमांक:6

संख्या: 1546 पारेंअनु० 16 / पाट्ठाकालि-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक गणों से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र०पा० ट्रान्समिशन कारपोरेशन शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, मुख्यालय कारपोरेशन।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अपर सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
9. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/उप मुख्यलेखाधिकारी, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. वेबसाइट।

आङ्गा से,

(ए० के० श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)